

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/अ0अन्त0/ /2023:: लखनऊ::दिनांक:जुलाई 13, 2023

--आदेश--

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3, लखनऊ के पत्रांक-356/2023 दिनांक 04.07.2023 पर सम्यक विचारोपरान्त वैट एक्ट की धारा-57(12)(ई)(ii) के अर्न्तगत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3, लखनऊ से सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ को अधोअंकित द्वितीय अपीलें नियमानुसार निस्तारण हेतु अंतरित की जाती हैं।

क्रम सं०	अपील सं०	फर्म/व्यापारी का नाम व पता	क०नि०वर्ष
1.	76/2023	सर्वश्री अडानी विलमर लिमिटेड, साइबर हाइट्स, प्लॉट नं०-टीसी/जी2/2 एण्ड टीसी/जी5/5, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ	2015-16 धारा 28(2)(1)
2.	77/2023	सर्वश्री अडानी विलमर लिमिटेड, साइबर हाइट्स, प्लॉट नं०-टीसी/जी2/2 एण्ड टीसी/जी5/5, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ	2015-16 धारा-9(2)

ह०/13.07.2023

(रणधीर सिंह)

एच०जे०एस०


अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/अ0अन्त0/854/2023, दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, लखनऊ।
- 3-असि० कमि०/रा०प्रति० पीठ-2 व 3 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4-आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।
- 5-वेब अधिकारी मुख्यालय।

आज्ञा से



निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।